

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 3563 / 2005 / सीकर

वाणिज्यिक कर अधिकारी

प्रतिकरापकवचन, झुन्झुनू

अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स नार्थ ईस्टर्न केबल्स एण्ड कण्डक्टर्स. लि.

सीकर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

श्री अलकेश शर्मा

अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 27.11.2015

निर्णय

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापकवचन, झुन्झुनू (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स)तृतीय,, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 234 / आरएसटी / 1998-1999 / सीकर / 2004-2005 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2005 के विरुद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78(5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 1,77,769/- को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 11.08.2012 की रात्रि को वाहन संख्या आरजे 23 जीओक 621 को रोक कर चेक करने पर उसमें एल्यूमिनियम वायर रोल्स के कुल 9 ड्रम लदे पाये गये, जिनके सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने राम निवास ट्रांसपोर्ट कम्पनी, सीकर की बिल्टी 12544 दिनांक 15.12.1998 की प्रति (मूल) सीकर से बावल किराया रु. 3925/-, मैसर्स नार्थ ईस्टर्न केबल्स एण्ड कण्डक्टर्स लिमिटेड, सीकर द्वारा जारी चालान नम्बर 17 उदिनांक 15.12.1988 की एक प्रति (मूल) एवं मैसर्स नार्थ ईस्टर्न केबल्स एण्ड कण्डक्टर्स लिमिटेड, सीकर द्वारा जारी एक्साइज इनवायस नम्बर 22 दिनांक 15.12.1998 की एक (कार्बन) प्रति प्रस्तुत की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन चालक से पूछने पर उसने बताया कि इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज नहीं है। पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि इसी फर्म का ऐसा ही माल एक अन्य ट्रक संख्या आरजे 23-जीओ-305 में भी परिवहनित किया जा रहा है। वाहन चालक श्री अजय कुमार ने पूछताछ के दौरान उनके पास निम्न दस्तावेज पाये गये:-

1. मैसर्स नार्थ ईस्टर्न केबल्स एण्ड कण्डक्टर्स लिमिटेड, सीकर के कामर्शियल इनवायस की फोटो प्रति पर हाथ से बनाया गया मूल बिल क्रमांक 18 दिनांक

15.12.1998 जिसमें घोषित कीमत रु. 1243748/- उपरोक्त दोनों ट्रकों में लदे माल की सामूहिक कीमत है।

2. उपरोक्त चालान क्रमांक 17 व 18 दिनांक 15.12.2001 की एक एक प्रति

3. उपरोक्त बिल्टी नम्बर 12544 व 12543 दिनांक 15.12.1998 की एक एक प्रति

उपरोक्त प्रकार से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में अलग से माल प्रभारी के पास प्रोफार्मा बिल की फोटो प्रति पर मूल कामिर्शियल बिल पर बिक्री कर भी वसूल किया गया है, देखने के पश्चात कामिर्शियल बिल कूटरचित है तथा वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत चालान एवं एक्साईज इनवायस को मिथ्या तथा असत्य मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,77,769/- आरोपित की। उक्त शास्ति से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने दिनांक 22.03.2002 से पूर्व माल मालिक पर शास्ति आरोपित करने को अविधिक मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपील स्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2005 से असन्तुष्ट होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि जारी नोटिस की पालना में श्री पी.के.खेतान,डाईरेक्टर ने जवाब प्रस्तुत किया तथा सम्बन्धित लेखा पुस्तकें भी वास्ते जांच प्रस्तुत की। लेखा पुस्तकों की जांच पर पाया गया कि वाहन चालक द्वारा परिवहन के दौरान वास्ते जांच प्रस्तुत चालान नम्बर 17 एवं एक्साईज इनवायस संख्या 22 अनियमित है क्योंकि चालान बुक के अवलोकन पर प्रकट हुआ कि चालू वर्ष में इस चालान बुक में से कुल 3 चालान (चालान नम्बर 8 व 9 तथा 12 व 13 के मध्य से)से पूर्व के पूरे गायब है। उनका कथन है कि उक्त गायब चालानों के सम्बन्ध में श्री पी.के.खेतान,डाईरेक्टर ने कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया गया,जिससे स्पष्ट है कि माल का परिवहन करापवंचन की दोषी मानसिकता से किया जा रहा है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है,जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर ध्यान दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है,जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वाहन में एल्यूमिनियम वायर रोलस परिवहनित किये जा रहे थे, जिनके सम्बन्ध में माल के साथ बिल, बिल्टी एवं चालान संलग्न थे। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल


के सम्बन्ध में अधिनियम की अन्तर्गत विहित सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से भरे हुए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। उनका कथन है कि परिवहनित माल का व्यवहारी की नियमित लेखा पुस्तकों में इन्द्राज किया हुआ था, जिसको जवाब के साथ प्रस्तुत किया गया है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने मात्र सन्देह के आधार पर शास्ति का आरोपण किया है। उनका यह भी कथन है कि दिनांक 22.03.2002 से पूर्व माल मालिक पर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के स्तर पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों को दोहराते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, रिकार्ड तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के सम्बन्ध में अधिनियम की अन्तर्गत विहित सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से भरे हुए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे तथा परिवहनित माल का व्यवहारी की नियमित लेखा पुस्तकों में इन्द्राज किया हुआ था, जिसको जवाब के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। कर निर्धारण अधिकारी ने जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को किसी भी जांच अथवा साक्ष्य के आधार पर उन्हें मिथ्या अथवा असत्य प्रमाणित नहीं किया है।

पत्रावली के अवलोकन पर ऐसी कोई जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये दस्तोवज मिथ्या अथवा असत्य प्रमाणित होते हो। ऐसा प्रतीत होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने समस्त कार्यवाही सन्देह के आधार पर सम्पादित की है, जिसे वैध नहीं ठहराया जा सकता है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य